न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 12/2019

1. गुरतेज सिंह उर्फ तेज सिंह पुत्र भाग सिंह जाति रामगढिया निवासी 16 एस तहसील श्रीकरणपुर।

--वादी--

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादी--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 21-11-2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 16 एस की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 41/36 के मु0 न0 54, चक 34 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 50/45 के मु0न0 31 एवं चक 37 एच की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 71/59 के मु0न0 45 में मेरा नाम तेजा सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज है, जबकि मेरा एक दूसरा नाम गुरतेज सिंह भी है। अतः मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह पुत्र भाग सिंह करने की कृपा करे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सहखातेदारो को जरिए नोटिस तलब किया गया। सहखातेदारों की तलवी प्रेम सिंह, तेज सिंह, सुखदेव सिंह की तलवी स्वयं पर, मिठू सिंह की तलवी पुत्र पर होकर प्राप्त हुई। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार गांव मे पूछताछ एवं सरपंच रिपोर्ट के अनुसार तेज सिंह व गुरतेज सिंह एक ही व्यक्ति है, तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह किया जाना उचित है। प्रार्थी को गुरतेज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनके बच्चो की मार्कशीट मे नाम गुरतेज सिंह है। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया। जवाब स्टेट के तथ्य इस प्रकार है– प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संलग्न रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम तेजा सिंह उर्फ गुरतेज सिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सरंपच ग्राम पचांयत 14 एस माझीवाला का प्रमाण पत्र, जमाबंदी एवं पहचान पत्र प्रस्तुत किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत 14 एस माझीवाला की रिपोर्ट के अनुसार तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह जाति रामगढिया निवासी 16 एस तहसील श्रीकरणपुर का निवासी है। तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, चक 34 एच की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 50/45 में अंकित नाम तेजा सिंह पुत्र भाग सिंह के स्थान पर गुरतेज सिंह उर्फ तेज सिंह पुत्र भाग सिंह एवं चक 37 एच की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 71/59 में अंकित नाम तेजा सिंह पुत्र भाग सिंह के स्थान पर गुरतेज सिंह उर्फ तेज सिंह पुत्र भाग सिंह एवं चक 16 एस की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 41/36 में अंकित नाम तेजा सिंह पुत्र भाग सिंह के स्थान पर गुरतेज सिंह उर्फ तेज सिंह पुत्र भाग

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इन तीनों खातो के शेष अंकन बदस्तूर रहेगे। इस आदेश का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

{मूलचन्द लूणिया}
उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2019.12.05 11:57:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: